Annexure-XIII

रजि. सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 574] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 18, 2011/आश्विन 26, 1933
No. 574] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 18, 2011/ASVINA 26, 1933

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अक्तूबर, 2011

सा.का.नि. 764(अ).—केन्द्रीय सरकार, आपदा प्रबंधन, अधिनियम, 2005 (2005 का 3) की धारा 75 की उप-धारा (2) के खंड (च) के साथ पठित राष्ट्रीय आपदा मोचन बल नियम, 2008 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल में समूह 'क' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय आपदा मोचन बल समूह "क" राजपत्रित, योद्धक पद भर्ती नियम, 2011 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. लागू होना.—ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे ।

3. पद की संख्या, वर्गीकरण का वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वह जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्र की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. महानिदेशक	1* (एक) (2011) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क", राजपत्रित, अननुसचिवीय (योद्धक)	75,500-80,000 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : सीधे भर्ती होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति द्वारा।	भारतीय पुलिस सेवा के ऐसे अधिकारी जो महानिदेशक का पद धारण कर रहे हैं या महानिदेशक या समकक्ष पद धारण करने के लिए पैनलीकृत हैं। **टिप्पण :**—प्रतिनियुक्ति की निबंधन और शर्तें गृह मंत्रालय द्वारा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए विहित अवधि नीति द्वारा शासित होंगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. महानिरीक्षक	1* (एक) (2011) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क", राजपत्रित, अननुसचिवीय (योद्धक)	वेतन बैंड-4 37,400-67,000 रु. + 10,000 रु. ग्रेड वेतन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति द्वारा	(i) केन्द्र में महानिरीक्षक का पद धारण करने के लिए भारतीय पुलिस सेवा के पैनलीकृत अधिकारी। (ii) केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के अधिकारी जो नियमित पद धारण कर रहे हैं या अपने संबंधित बलों में महानिरीक्षक का पद धारण करने के लिए पैनलीकृत हैं। टिप्पण –प्रतिनियुक्ति की निबंधन और शर्तें गृह मंत्रालय द्वारा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए विहित अवधि नीति द्वारा शासित होंगी।

(12)	(13)
तथापि प्रतिनियुक्ति राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण/गृह मंत्रालय द्वारा चयन/स्क्रीनिंग समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, की सिफारिशों पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पर की जाएगी : 1. सचिव गृह मंत्रालय —अध्यक्ष 2. सचिव/विशेष सचिव/अपर सचिव, गृह मंत्रालय/प्रभारी आपदा प्रबंधन —सदस्य 3. महानिदेशक (एन डी आर एफ) —सदस्य 4. अन्य केन्द्रीय पुलिस संगठनों में से एक महानिदेशक (अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाना है) —सदस्य	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. उप महानिरीक्षक	1*(एक) (2011) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क", राजपत्रित, अननुसचिवीय (यांत्रिक)	वेतन बैंड-4 37,400-67,000 रु. + 8,900 रु. ग्रेड वेतन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति द्वारा	केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों और भारतीय पुलिस सेवा के ऐसे अधिकारी जो,– (क) (i) जो नियमित आधार पर उप महानिदेशक का पद धारण कर रहे हैं या उप महानिरीक्षक का पद धारण करने के लिए पैनलीकृत हैं; या

IndiaCode

(10)	(11)
	(ii) ऐसे सैनानी जो समूह "क" में उस श्रेणी में 20 वर्ष की नियमित सेवा रखते हैं जिसमें 2 वर्ष की सेवा सेनानी के रूप में हैं।
	(ख) । चिकित्सा प्रवर्ग शेप-1 होना चाहिए । (प्रतिनियुक्ति की अवधि तीन वर्ष होगी, जो पांच वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी। तथापि भारतीय पुलिस सेवा की दशा में प्रतिनियुक्ति की निबंधन और शर्तें गृह मंत्रालय द्वारा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए विहित अवधि नीति द्वारा शासित होंगी।

(12)	(13)
तथापि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण/गृह मंत्रालय द्वारा चयन/स्क्रीनिंग समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, की सिफारिशों पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पर प्रतिनियुक्ति की जाएगी : 1. सचिव, गृह मंत्रालय —अध्यक्ष 2. सचिव/विशेष सचिव/अपर सचिव, गृह मंत्रालय/प्रभारी आपदा प्रबंधन —सदस्य 3. महानिदेशक (एन डी आर एफ) —सदस्य 4. अन्य केन्द्रीय पुलिस संगठनों में से एक महानिदेशक (अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाना है) —सदस्य	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. उप-सैनानी	2*(दो)(2011) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क", राजपत्रित, अननुसचिवीय (योद्धक)	वेतन बैंड-3 15,600-39,100 रु. + 6,600 रु. ग्रेड वेतन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति द्वारा	अर्द्धसैनिक बलों के ऐसे अधिकारी जो,–
	(क)(i) जो नियमित आधार पर उप-सैनानी का पद धारण कर रहे हैं; या
	(ii) ऐसे सहायक सैनानी जो उस श्रेणी में 6 वर्ष की नियमित सेवा रखते हैं;
	टिप्पण 1 : चिकित्सा प्रवर्ग शेप-1 होना चाहिए।
	टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी और प्रतिनियुक्ति की अवधि तीन वर्ष होगी, जो पांच वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी।

IndiaCode

(12)	(13)
तथापि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण/गृह मंत्रालय द्वारा चयन/स्क्रीनिंग समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, की सिफारिशों पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पर प्रतिनियुक्ति की जाएगी : 1. महानिदेशक (एन डी आर एफ) —अध्यक्ष 2. महानिरीक्षक (एन डी आर एफ) —सदस्य 3. अन्य केन्द्रीय पुलिस संगठनों में से एक महानिदेशक (अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाना है) —सदस्य	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. प्रधान निजी सचिव	1* (2011) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क", राजपत्रित, अननुसचिवीय (योद्धक)	वेतन बैंड-3 15,600-39,100 रु. + 6,600 रु. ग्रेड वेतन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(10)	(11)	
प्रतिनियुक्ति द्वारा	(i)	ऐसे अधिकारी जो केन्द्रीय आशुलिपिक सेवा वंवर्ग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं; या
	(ii)	केन्द्रीय आशुलिपिक सेवा संवर्ग में 8 वर्ष की नियमित सेवा रखने वाले निजी सचिव :
	टिप्पण 1 :	प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष के लिए होगी जो पांच वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी।
	टिप्पण 2 :	प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 52 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(12)	(13)
केन्द्रीय आशुलिपिक सेवा संवर्ग का पद । गृह मंत्रालय द्वारा स्थानांतरण द्वारा भरा जाना है।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. 1-5/2010-एन.डी.आर.एफ.]

देव कुमार, निर्देशक (आ.प्र.-1)

3890 GI/11-2

IndiaCode